न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :–   जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 54/2021

ओमप्रकाश आयु 62 वर्ष पुत्र मखनलाल जाति यादव निवासी शिमला, तहसील खेतड़ी, जिला झुंझुनू।

–अपीलार्थी–

–बनाम–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनू ।

–रेस्पोडेंट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी
उनवानी सरकार बनाम ओमप्रकाश अं0धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 14/2021 निर्णय दिनांक 02.07.2021

उपस्थितिः–

1 .श्री राजेश पूनियां, एडवोकेट ——————————अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक ——————रेस्पोडेन्ट की ओर से।

–निर्णय–   दिनांक 12.10.2022

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 02.7.2021 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम ओमप्रकाश मु0 नं0 14/2021 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि – जमीन हाल खसरा नंबर 100 रकबा 51.77 हैक्टर किस्म गैर मु0 जोहड़ सरहद राजस्व ग्राम शिमला में स्थित है। उक्त जमीन में 0.01 हैक्टर जमीन पर अपीलांट द्वारा पक्का चबूतरा बनाये जाने पर अपीलांट के विरूद्ध अदालत मातहत के समक्ष धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज कर अपीलांट को समुचित सुनवाई का अवसर नहीं दिये, दिनांक 02.7.2021 को आलौच्य निर्णय पारित किया जिस आलौच्य निर्णय के विरूद्ध मौजूदा अपील पेश कर निवेदन किया कि – अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी के द्वारा [illegible] आलौच्य निर्णय दिनांक 2.7.2021 खिलाफ कानून न्याय एवं पत्रावली [illegible] है। [illegible] प्रकरण में धारा 91

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.11.02 13:12:30 IST
Reason: SelfAttested

एल.आर.एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते। जमीन हाल खसरा नंबर 100 ग्राम शिमला पर मौके पर काफी आबादी रिहायश कर रही है जो करीब 50–60 वर्षों से रिहायश के रूप में काम में ली जा रही है, लेकिन राजस्व रिकार्ड में उक्त जमीन की किस्म गैर मुमकीन गलत दर्ज है। सरकार ने रिहायशी लोगों को बिजली, पानी के कनेक्शन उपलब्ध करवाये हैं। ग्राम पंचायत शिमला में खसरा नंबर 100 पर सड़क सरकारी योजना के तहत स्थापित की है। अपीलांट खसरा नंबर 100 पर एक सदभाविक काबिज व्यक्ति है। कूननन जहां किस्म जमीन सद्भाविक कब्जे का प्रश्न हो वहां किसी सद्भाविक काबिज व्यक्ति को समरी कार्यवाही के द्वारा बेदखल नहीं किया जा सकता। वहां सदभाविक कब्जा व किस्म जमीन का प्रश्न हो ऐसे प्रकरण में बाद रेगुलर कार्यवाही बाद शपथ पूर्वक साक्ष्य उचित हो तो किसी व्यक्ति को बेदखल किया जा सकता है। मौजुद प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया । अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट नें दिनांक 2.2.2021 को जवाब पेश कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी दिनांक 26.2.2021 की आदेशिका गलत रूप से लिखी है। पीठासीन अधिकारी ने पत्रावली में प्रोसेस का मिसयूज किया है । कोविड–19 महामारी के संक्रमण के चलते माननीय उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय तथा रेवेन्यू बोर्ड राज्य सरकार ने सभी अधीनस्थ अदालतों व कार्यालयों को यह निर्देश जारी कर रखे हैं कि कोई भी न्यायालय या कार्यालय किसी भी प्रकरण में किसी भी पक्षकार की सहमति के बिना उसके विरूद्ध कोई एडवार्स निर्णय पारित नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी अपीलांट की अनुपस्थित में उसकी बिना सहमति के आलौच्य निर्णय पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। आलौच्य निर्णय में अदीलत मातहत ने अतिक्रमी का आधार दर्ज नहीं किया। आलौच्य निर्णय स्पष्ट व तर्क व निष्कर्ष सहित नहीं है, इस कारण खारिज होने योग्य है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील मेमो में लिखे तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि– मौजुदा प्रकरण में धारा 91 एल.आर.एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते। जमीन हाल खसरा नंबर 100 ग्राम शिमला पर मौके पर काफी आबादी रिहायश कर रही है जो करीब 50–60 वर्षों से

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.11.02 13:12:30 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

रिहायश के रूप में काम में ली जा रही है, लेकिन राजस्व रिकार्ड में उक्त जमीन की किस्म गैर मुमकीन गलत दर्ज है। सरकार ने रिहायशी लोगों को बिजली, पानी के कनेक्शन उपलब्ध करवाये हैं। ग्राम पंचायत शिमला में खसरा नंबर 100 पर सड़क सरकारी योजना के तहत स्थापित की है। अपीलांट खसरा नंबर 100 पर एक सदभाविक काबिज व्यक्ति है। कूननन जहां किस्म जमीन सद्भाविक कब्जे का प्रश्न हो वहां किसी सद्भाविक काबिज व्यक्ति को समरी कार्यवाही के द्वारा बेदखल नहीं किया जा सकता। वहां सद्भाविक कब्जा व किस्म जमीन का प्रश्न हो ऐसे प्रकरण में बाद रेगुलर कार्यवाही बाद शपथ पूर्वक साक्ष्य उचित हो तो किसी व्यक्ति को बेदखल किया जा सकता है। मौजुद प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया । अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट नें दिनांक 2.2.2021 को जवाब पेश कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी दिनांक 26.2.2021 की आदेशिका गलत रूप से लिखी है। पीठासीन अधिकारी ने पत्रावली में प्रोसेस का मिसयूज किया है। कोविड–19 महामारी के संक्रमण के चलते माननीय उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय तथा रेवेन्यू बोर्ड राज्य सरकार ने सभी अधीनस्थ अदालतों व कार्यालयों को यह निर्देश जारी कर रखे हैं कि कोई भी न्यायालय या कार्यालय किसी भी प्रकरण में किसी भी पक्षकार की सहमति के बिना उसके विरूद्ध कोई एडवार्स निर्णय पारित नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी अपीलांट की अनुपस्थित में उसकी बिना सहमति के आलौच्य निर्णय पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। आलौच्य निर्णय में अदीलत मातहत ने अतिक्रमी का आधार दर्ज नहीं किया। आलौच्य निर्णय स्पष्ट व तर्क व निष्कर्ष सहित नहीं है, इस कारण खारिज होने योग्य है।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलाट्स द्वारा राजकीय भूमि खसरा नंबर 100 रकबा 51.77 हैक्टर किस्म गैर मु0 जोहड़ में से 0.01 हैक्टर जमीन पर पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय दिनांक 02.07.2021 पारित किया गया है। पारित निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.11.02 13:12:30 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हल्का पटवारी शिमला की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट द्वारा राजस्व ग्राम शिमला स्थित राजकीय भूमि खसरा नंबर 100 रकबा 51.77 हैक्टर किस्म गैर मु0 जोहड़ के रकबा 0.01 हैक्टर भूमि पर ओमप्रकाश अपीलांट द्वारा पक्का चबूतरा बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा अपीलांट के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया जाकर विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलांट को धारा 91 एल.आर.एक्ट के अन्तगर्त नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट की विधिवत् तामील हुई है, अपीलांट द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई हेतु एवं साक्ष्य सबूत पेश करने हेतु कई अवसर दिये गये हैं, लेकिन अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय एवं हाजा न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जिससे विवादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का कब्जा/अतिक्रमण वैद्य साबित होता हो। विवादग्रस्त भूमि की किस्म गैर मु0 जोहड़ दर्ज होने से नियमन योग्य भी नहीं है। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.07.2021 में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांटस स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांटस खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.07.2021 उनवानी सरकार बनाम ओमप्रकाश मु0नं0 14/2021 यथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 12.10.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.11.02 13:12:30 IST
Reason: SelfAttested